निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), वाराणसी में मार्ट-सह-कार्यालय स्थान तथा दुकानों की लाइसेंसिंग हेतु इच्छुक आवेदकों से बोलियाँ आमंत्रित करता है।

आवश्यकताओं की सूची:
दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), वाराणसी में पाँच (05) वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए आठ (08) दुकानों तथा बत्तीस (32) मार्ट-सह-कार्यालय स्थान की लाइसेंसिंग।

पात्रता:
निम्नलिखित बोली में भाग लेने के पात्र हैं:

i. हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगमें/ हथकरघा एवं हस्तशिल्प की शीर्ष एवं सहकारी समिति/ हथकरघा एवं हस्तशिल्प की उत्पादक कंपनियाँ
ii. हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विनिर्माता (जीआई उत्पादों के लिए, आवेदकों को अन्यों पर वरीयता दी जा सकती है)।
iii. सरकारी कार्यालय: मार्ट ब्लॉक तीसरी मंजिल
iv. सेलून: मार्ट ब्लॉक तीसरी मंजिल/ दूसरी मंजिल और शॉपिंग क्षेत्र पहली मंजिल
v. जिम स्थान: मार्ट ब्लॉक दूसरी मंजिल/तीसरी मंजिल प्रदर्शनी हॉल
vi. योगा क्लास के लिए स्थान: टीएफ़सी के खुले स्थानों का उपयोग किया जा सकता है।
vii. सजावटी होम फर्नीशिंग: सभी दुकानों और मार्ट स्थानों के लिए खुला है।
viii. ट्रेवल एजेंसी/टूर ऑपरेटर: दूसरी एवं तीसरी मंजिल
ix. हस्तनिर्मित फर्नीचर दुकानें: पहली मंजिल एवं दूसरी मंजिल
x. कला एवं शिल्प संवर्धन हेतु संगठन
xi. नृत्य कक्षाएँ
xii. फोटो स्टूडियो: दूसरी एवं तीसरी मंजिल
xiii. कला प्रदर्शनी/गैलरी
xiv. टेलरिंग शॉप/बुटीक
xv. डिज़ाइनर्स
xvi. कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण केंद्र
xvii. कला एवं संस्कृति के विकास तथा संवर्धन के लिए कुछ अन्य।

बोलीकर्त्ताओं द्वारा ऐसे दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनके लिए वे कार्य करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि बोलीकर्त्ता किसी बैंक, वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और उनके विरुद्ध पुलिस या किसी कोर्ट में कोई कानूनी मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

बोलीकर्त्ता के पास उन्हें आवंटित दुकान/मार्ट के किराए तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए।

बोलीकर्त्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए।

निर्देश:

1. प्रस्ताव हेतु अनुरोध के विस्तृत दस्तावेज महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक में उल्लिखित तारीख से और www.handicrafts.nic.in www.dchsankul.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2. कारीगरों के प्रश्नों को स्पष्ट करने और सुझाव लेने के लिए, एक पूर्व-बोली बैठक नीचे दिए गए दिनांक पत्रक में दर्शाई गई तिथि और समय पर दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), वाराणसी के कन्वेंशन ब्लॉक में निर्धारित की गई है।
3. आवेदकों को विधिवत रूप से भरे गए एवं सील किए गए प्रस्ताव आरएफ़पी में दिये गए प्रारूप के अनुसार पात्रता मापदंड आदि के समर्थन में अन्य अपेक्षित/ दस्तावेजों तथा सूचना के साथ, निबंधन पत्र में दिए गए पते पर निर्धारित समय पर या उससे पूर्व प्रस्तुत करने हैं।
4. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरएफपी दस्तावेज में "बोलीकर्त्ताओं के लिए निर्देश" में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
5. बोलीकर्ता डाउनलोड किए गए वित्तीय बोली प्रारूप सहित निविदा फॉर्म में किसी भी तरह की छेड़छाड़/ संशोधन नहीं करेंगे। यदि किसी भी तरह की छेड़छाड़/ संशोधन पाया जाता है तो, निविदा पूर्ण रूप से रद्द कर दी जाएगी तथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकरण/ वस्त्र मंत्रालय के साथ व्यापार करने से प्रतिबंध लगाने के लिए बोलीकर्त्ता उत्तरदायी होगा।
6. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख तक www.handicrafts.nic.in एवं www.dchsankul.gov.in को नियमित रूप से देखें।

प्रस्तुतिकरण का पता:

बोलियां इस दस्तावेज में पैरा 1.11 में उल्लिखित वस्त्र मंत्रालय के निम्नलिखित पते पर प्रस्ताव ड्रॉप बॉक्स में जमा/ड्रॉप करनी होंगी।

वरिष्ठ निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, प्रथम तल, कन्वेंशन ब्लॉक, दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर, वाराणसी।

संपर्क:

वरिष्ठ निदेशक (हस्तशिल्प),
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय,
वस्त्र मंत्रालय, पश्चिमी खंड सं. : 7,
आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली-110066
ई-मेल: sohanjha1989@gmail.com ;
फोन: 011-26178640/26108985

सहायक निदेशक (हस्तशिल्प)
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय,
वस्त्र मंत्रालय, पहली मंजिल, कन्वेंशन ब्लॉक,
दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
ईमेल: dhs.tfc.dch@gmail.com
मोबाइल: 9634499471; 9696181559

निबंधन पत्र

क्रम सं.	विवरण	
1.	टेंडर दस्तावेज़ की लागत	शून्य
2.	टेंडर दस्तावेज़ की बिक्री/उपलब्धता	महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक में आरएफ़पी दस्तावेज़ डाउनलोड की आरंभिक तिथि एवं समय से लेकर बोली (बिड) खोलने तक। आवेदक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफ़पी) की प्रति www.handicrafts.nic.in एवं www.dchsankul.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3.	बोली के लिए उपलब्ध कुल यूनिटें	**कुल 08 खाली दुकानें:** **भूतल (02):** एसजी-6 और एसजी-8 **पहली मंजिल (06):** एसएफ़-5, एसएफ़-6, एसएफ़-7, एसएफ़-8, एसएफ़-9 और एसएफ़-10 **कुल 32 मार्ट सह कार्यालय स्थान खाली:** **भूतल (01):** मार्ट सह कार्यालय ब्लॉक में एमजी-04 **पहली मंजिल (16):** मार्ट सह कार्यालय ब्लॉक और कन्वेंशन सेंटर ब्लॉक में एमएफ़-02, एमएफ़-03, एमएफ़-04, एमएफ़-05, एमएफ़-06, एमएफ़-07, एमएफ़-08, एमएफ़-09, एमएफ़-10, एमएफ़-11, एमएफ़-12, एमएफ़-13, एमएफ़-14, एमएफ़-15, एमएफ़-16 और एमएफ़-17 **दूसरी मंजिल (13):** मार्ट सह कार्यालय ब्लॉक में एमएस-1 से एमएस-13 तक **तीसरी मंजिल (02):** एमटी-05 और एमटी-06
4.	लाइसेंस अवधि	लाइसेंस अवधि आरंभिक तिथि से **पाँच (05) वर्षों** के लिए होगी। पाँच (05) वर्ष पूरे होने पर, प्राधिकरण संबंधित दुकानों के लिए नए टेंडर आमंत्रित करेगा, तथापि, मौजूदा लाइसेंसी जिन्होंने नए टेंडर में बोली (बिड) लगाई हो और जिनका एच1 बिडर के रूप में चयन नहीं हुआ हो, को उस दुकान के एच1 बिडर के वित्तीय प्रस्ताव से मिलान कर अस्वीकरण का प्रथम अधिकार दिया जाएगा। **प्रति वर्ष लाइसेंस फीस में 5% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी।**

		बोलीकर्त्ताओं (बिडर) को सलाह दी जाती है कि वे निबंधन पत्र के बिन्दु 30 की समीक्षा करें।
5.	मार्ट सह कार्यालय स्थान में व्यापार/बिक्री/डिस्प्ले के लिए अनुमत मर्चेंडाइज़ श्रेणियाँ	लाइसेंसयुक्त दुकानों/मार्ट सह कार्यालय स्थानों में, निम्नलिखित गतिविधियों सहित हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के लिए व्यापार की अनुमति है:- i. सरकारी कार्यालय: मार्ट ब्लॉक तीसरी मंजिल ii. डाकघर: मार्ट ब्लॉक भूतल/पहली मंजिल iii. सेलून: मार्ट ब्लॉक तीसरी मंजिल/ दूसरी मंजिल और शॉपिंग क्षेत्र पहली मंजिल iv. जिम स्थान: मार्ट ब्लॉक दूसरी मंजिल/तीसरी मंजिल प्रदर्शनी हॉल v. योगा क्लास के लिए स्थान: टीएफ़सी के खुले स्थानों का उपयोग किया जा सकता है। vi. सजावटी होम फर्नीशिंग: सभी दुकानों और मार्ट स्थानों के लिए खुला है। vii. ट्रेवल एजेंसी/टूर ऑपरेटर: दूसरी एवं तीसरी मंजिल viii. हस्तनिर्मित फर्नीचर दुकानें: पहली मंजिल एवं दूसरी मंजिल ix. कला एवं शिल्प संवर्धन हेतु संगठन x. नृत्य कक्षाएँ xi. फोटो स्टूडियो: दूसरी एवं तीसरी मंजिल xii. कला प्रदर्शनी/गैलरी xiii. टेलरिंग शॉप/बुटीक xiv. डिज़ाइनर्स xv. कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण केंद्र xvi. कला एवं संस्कृति के विकास तथा संवर्धन के लिए कुछ अन्य।
6.	आरक्षण (नियत मानदंड)	बोलीदाताओं को उन दस्तावेजों का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनके लिए वह दुकानों / मार्टों में व्यवसाय करना चाहता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि बोली लगाने वाले किसी बैंक, वित्तीय संस्थानों के डिफाल्टर न हों और उनके विरुद्ध न तो पुलिस और न ही किसी न्यायालय में

		कोई कानूनी मामला लंबित हो। बोलीदाताओं के पास उन्हें आवंटित की जाने वाली दुकानों/बाजारों के किराए और अन्य शुल्कों का भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए।
7.	पात्रता मापदंड	एक आवेदक कई दुकानों/मार्ट सह कार्यालय स्थान के लिए आवेदन कर सकता है, हालांकि, एक सफल आवेदक को केवल एक दुकान/मार्ट सह कार्यालय स्थान आवंटित किया जाएगा।
8.	यूनिटों की अधितकम संख्या जो प्रत्येक सफल बोलीकर्त्ता को आवंटित की जा सकती है।	बोलीकर्त्ता अलग से एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि, प्रत्येक सफल बोलीकर्त्ता/आवेदक को केवल एक (01) दुकान ही आवंटित होगी। यदि कोई आवेदक एक ही दुकान के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो ऐसे आवेदक के उस दुकान के लिए सभी प्रस्ताव निरस्त कर दिए जाएंगे।
9.	चयन का तरीका	**उच्चतम वित्तीय प्रस्ताव** (आरक्षित मूल्य से ऊपर) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रकाशित आरक्षित मूल्य के लिए निबंधन पत्र के बिन्दु 12 का संदर्भ लें।
10.	आवंटन प्रक्रिया	बोलीकर्त्ता संबंधित श्रेणियों की दुकानों की बोली खोलने में भाग ले सकते हैं। बोलियाँ दुकानों के पहचान नंबरों के बढ़ते क्रम में खोली जाएंगी अर्थात उदाहरण के लिए, उन स्थानों में दुकान नं॰ एसजी-01 से एसजी-14 तक और एसएफ़-01 से एसएफ़-14 तक जिनके लिए बोलियाँ प्राप्त हुई है। एक बार आवेदक की पहचान एक दुकान के सफल आवेदक के रूप में हो जाती है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य दुकानों की बोलियाँ/प्रस्ताव निरस्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक आवेदक ने दुकान संख्या एसजी-01, एसजी-05 और एसएफ़-03 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उसका वित्तीय प्रस्ताव दुकान संख्या एसजी-01 के

		लिए प्राप्त प्रस्तावों में से सबसे अधिक है, तो उसे दुकान संख्या एसजी-01 के लिए सफल आवेदक घोषित किया जाएगा और अन्य दुकानों के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी प्रस्ताव (अर्थात एसजी-05 और एसएफ़-03) निरस्त हो जाएंगे। आवेदक किसी भी श्रेणी (अर्थात श्रेणी I या श्रेणी-II) के लिए आवेदन कर सकता है, तथापि, श्रेणी कोई भी हो, उच्चतम बिडर को संबंधित लाइसेंस स्थान के लिए वरीय बिडर के रूप में पहचाना जाएगा। प्राधिकरण के पास यह अधिकार है, कि यदि बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी में से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी श्रेणी में शेष दुकानें, प्राधिकरण के विवेकानुसार, सभी श्रेणियों में प्रतिक्षासूची प्रतिभागियों की वित्तीय बोलियों के घटते क्रम में उच्चतम बिडर को, आवंटित की जा सकती है।
11.	लाइसेंस फीस के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य	आवेदकों को सलाह दी जाती है कि दुकानों के स्थान के संबंधित पहचान नंबर के विरुद्ध लाइसेंस फीस के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) हेतु **आरएफ़पी के अनुबंध-I** का संदर्भ लें। प्राधिकरण के पास केवल न्यूनतम आरक्षित मूल्य से ऊपर की बोलियों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
12.	सार्वजनिक क्षेत्र रखरखाव (सीएएम) और विद्युत प्रभार	सार्वजनिक क्षेत्र रखरखाव प्रभार को एक वर्ष के लिए प्रति लाइसेंस स्थान के लिए प्रति माह 6,000/- रुपए निश्चित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र रखरखाव में 5% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी। व्यक्तिक लाइसेंसी के वास्तविक उपभोग के अनुसार विद्युत प्रभार देय है।
13.	स्थान का दौरा	आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बिड स्थान का दौरा करने के उपरांत ही प्रस्तुत करें।
14.	प्री-बिड वार्ता	**07.10.2021** **स्थान:** कन्वेंशन ब्लॉक की पहली मंजिल पर मंत्रालय का कार्यालय, दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर, वाराणसी

क्र सं.	विवरण	
15.	प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि	**11.10.2021**
16.	नाम एवं पता जहां इस प्रस्ताव के अनुरोध से संबंधित प्रश्न/पत्राचार भेजा जाएगा।	आवेदक, यदि आवश्यक हो तो टेंडर के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण हेतु अपने प्रश्न प्राधिकरण को sohanjha1989@gmail.com पर **ईमेल द्वारा** **या लिखित रूप में निम्न पते पर भेज सकते हैं:-** वरिष्ठ निदेशक (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, पश्चिमी खंड सं.7, आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली-110066
17.	जिस तारीख तक प्राधिकरण द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा	**11.10.2021**
18.	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	सभी आवेदक 20,000/- रुपए (बीस हज़ार रुपए केवल) की बयाना राशि एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। आवेदक डिमांड ड्राफ्ट की पिछली तरफ आवेदक का नाम और संपर्क का ब्यौरा स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ईएमडी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जाए, और जो अंतिम प्रस्ताव/बिड वैधता अवधि के अतिरिक्त पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। ईएमडी के संबंध में प्राधिकरण आवेदक को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। ईएमडी की छूट केवल एमएसएमई/एनएसआईसी पंजीकृत बोलीकत्ताओं को दी जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि अधिक ब्यौरे और निर्देशों के लिए खंड 1.8 का संदर्भ लें।

क्र सं.	विवरण	
19.	पता जहां आवेदक सीलबंद प्रस्ताव जमा करेंगे	वरिष्ठ निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय को संबोधित होंगे। दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर, वाराणसी के कन्वेन्शन ब्लॉक के प्रथम तल पर मंत्रालय कार्यालय में रखे, **प्रस्ताव ड्रॉप बॉक्स** में डाले जाएं।
20.	सीलबंद प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय (प्रस्ताव नियत तारीख)	**तिथि एवं समय महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक के अनुसार**
21.	बिड खोलने की समिति द्वारा प्रस्ताव खोलने की तिथि	**तिथि एवं समय महत्वपूर्ण दिनांक पत्रक के अनुसार** **स्थान :-** कन्वेन्शन ब्लॉक, दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर, वाराणसी।
22.	प्रस्ताव की वैधता	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से 60 दिनों तक।
23.	सफल आवेदकों को लेटर ऑफ ईंटेंट (एलओआई)	बाद में सूचना दी जाएगी।
24.	सुरक्षा जमा (एसडी)	पसंदीदा बोलीकर्त्ता **दो (02) माह की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा जमा (एसडी)** प्रस्तुत करेगा। एसडी निर्धारण पत्र के ब्यौरे अनुसार लाइसेंसर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। सुरक्षा जमा लाइसेंस अवधि समाप्त होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। आवेदक द्वारा एसडी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर होने से पूर्व प्रस्तुत की जाए। एसडी के संबंध में प्राधिकरण/लाइसेंसर आवेदक/लाइसेंसी को किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करेगा। आवेदकों से अनुरोध है कि ब्यौरे और निर्देशों के लिए खंड 1.9 का संदर्भ लें।

क्र सं.	विवरण	
25.	लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर	लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रथम माह के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस और सार्वजनिक क्षेत्र रखरखाव प्रभार तथा लागू कर, प्रभार और ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (एसडी) की पूरी अदायगी प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर अथवा जैसा लेटर ऑफ ईंटेंट (एलओआई) में निर्धारित किया गया है। लाइसेंसी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी जमा या अग्रिम पर लाइसेंसर द्वारा लाइसेंसी को किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
26.	संग्रहण तिथि	लाइसेंसी को फिट-आउट वर्क पूरा करने के लिए तीस (30) दिनों की लाइसेंस फीस मुक्त संग्रहण अवधि की अनुमति होगी। संग्रहण अवधि लाइसेंसी द्वारा या लेटर ऑफ ईंटेंट (एलओआई) में विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार लाइसेंस युक्त स्थान का कब्जा लेने की तिथि से आरंभ होगी।
27.	आरंभ तिथि (लाइसेंस अवधि के लिए)	लाइसेंस अवधि लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 30वें (तीस) दिन आरंभ होगी।
28.	लाइसेंस अवधि	लाइसेन्स अवधि आरंभ होने की तिथि से **पाँच (05) वर्षों** के लिए होगी। पाँच (05) वर्ष पूरा होने के पश्चात, प्राधिकरण संबंधित दुकानों के लिए नए टेंडर आमंत्रित करेगा, तथापि, मौजूदा लाइसेंसी जो नए टेंडर में बोली (बिड) लगाते हैं और जिनका एच1 बिडर के रूप में चयन नहीं हुआ हो, को उस दुकान के एच1 बिडर के वित्तीय प्रस्ताव से मिलान कर अस्वीकरण का प्रथम अधिकार दिया जाएगा। **प्रति वर्ष लाइसेंस फीस में 5% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी।** लाइसेन्स अवधि पूरी होने के पश्चात लागू बकाया/एरियर/हर्जाना आदि की कटौती के बाद और करार शर्तों के अनुसार ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा वापिस की जाएगी। लाइसेंस अवधि पूरी या समाप्त होने के बाद, लाइसेंसी का आवंटित लाइसेंस स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसर

		के पास लाइसेंस स्थान के लिए नए प्रस्ताव मंगवाने का अधिकार होगा। लाइसेंसी को लाइसेंसयुक्त स्थान में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी जब तक उक्त को आवश्यकता के आधार पर लाइसेंसर द्वारा अनुमोदित न किया जाए। लाइसेंसी स्वयं की लागत पर अपनी व्यापार कार्यनीति के लिए उपयुक्त अस्थायी फिट-आउट लगा सकता है। लाइसेंस अवधि पूरी या समाप्त होने पर, लाइसेंसी लाइसेंसयुक्त रिक्त स्थान बिना किसी बाधा के लाइसेंसर को शांतिपूर्वक सौंप देगा। लाइसेंसी लाइसेंसयुक्त स्थान में रखे गए किसी भी सामान को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा, तथापि, लाइसेंस स्थान पर लाइसेंसी द्वारा लगाए गए कोई भी फिट-आउट और अर्द्ध-स्थायी सरंचना जैसे फ़ॉल्स सीलिंग आदि लाइसेंसर के पास रहेगा।
29.	सब-लाइसेंसिंग/सब-लेटिंग	कोई सब-लाइसेंसिंग/सब-लेटिंग अनुमत नहीं है।
30.	भुगतान निबंधन	लाइसेंस फीस और सार्वजनिक स्थान रखरखाव प्रभार मासिक आधार पर अग्रिम रूप में भुगतान किए जाएंगे। लाइसेंस फीस और सार्वजनिक स्थान रखरखाव प्रभार व लागू कर प्रत्येक माह के लिए पूर्ववर्ती माह के 25वें दिन से पहले अग्रिम में भुगतान किए जाएंगे।
31.	भुगतान की विधि	भुगतान निबंधन पत्र में दिए गए ब्यौरे अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से किए जा सकते हैं।
32.	लाइसेंस फीस का आरंभ	निबंधन पत्र में परिभाषित आरंभ तिथि से।
33.	सांविधिक दस्तावेज़ और अनुमोदन	लाइसेंसी को कार्य आरंभ करने से पूर्व सभी गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारी से सभी देय परमिट, आवश्यक अनुमोदन, मंजूरी और स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
34.	परिचालन का आरंभ	लाइसेंसी निबंधन पत्र में परिभाषित “आरंभ तिथि” से परिचाल शुरू कर सकता है।

क्र सं.	विवरण	
35.	लाइसेंसी द्वारा निकास	लाइसेंसी लाइसेंस अवधि के दौरान, 90 दिन का अग्रिम नोटिस देते हुए लाइसेंस करार को समाप्त कर सकता है या उस से बाहर निकल सकता है; यह लाइसेंस करार की सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है; ऐसे मामले में करार शर्तों के अनुसार ब्याज मुक्त शेष लाइसेंस फीस (90 दिन की नोटिस अवधि पूरा होने पर लाइसेंस वर्ष के शेष महीनों के लिए) और लागू बकाया/एरियर/हर्जाना आदि की कटौती के पश्चात ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा वापिस की जाएगी।
36.	पूरा होने से पहले लाइसेंस समाप्ति या लाइसेंस करार भंग होना	यदि लाइसेंसी प्राधिकरण को 90 दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना लाइसेंसयुक्त स्थान को को छोड़ देता है लाइसेंस करार को समाप्त करता है या लाइसेंसी द्वारा करार के नियम एवं शर्तों को भंग करने के कारण लाइसेंस करार के निरस्तीकरण होने पर, लाइसेंसी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम लाइसेंस फीस और सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि ब्यौरे और निर्देशों के लिए खंड 3.1 का संदर्भ लें।
37.	लाइसेंस समाप्ति	लाइसेंसी द्वारा समय पूर्व लाइसेंस समाप्त करने के मामले में या लाइसेंसी द्वारा करार के नियम एवं शर्तों को भंग करने कारण लाइसेंस करार के निरस्तीकरण पर, लाइसेंसी द्वारा संबंधित वर्ष के लिए भुगतान की गई अग्रिम लाइसेंस फीस और सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि ब्यौरे और निर्देशों के लिए खंड 3.1 का संदर्भ लें।
38.	करार में धोके और भ्रष्टाचार पर खंड	आवेदकों से अनुरोध है कि खंड 1.10 का संदर्भ लें।
39.	सार्वजनिक स्थान	दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है और समय समय पर यथासंशोधित सरकारी स्थान (अप्राधिक अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत सार्वजनिक स्थान है।

क्र सं.	विवरण	
40.	निषिद्ध गतिविधियां	आवेदकों से अनुरोध है कि खंड 3.4 का संदर्भ लें।
41.	लाइसेंसयुक्त स्थान के लिए रूपांतरण कारक	क्षेत्र रूपांतरण के लिए वर्ग मीटर (वमी) और वर्ग फुट (वफु) के लिए माना गया रूपांतरण कारक निम्नानुसार होगा: **1 वमी = 10.76 वफु या 1 वफु = 0.093 वमी**
42.	डिमांड ड्राफ्ट के लिए ब्यौरे	डिमांड ड्राफ्ट भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी व **लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, आर के पुरम, नई दिल्ली** के पक्ष में व नई दिल्ली में देय हो।
43.	प्राधिकरण प्रतिनिधित्व ब्यौरे	**सहायक निदेशक,** दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र एवं संग्रहालय), बड़ा लालपुर, चांदमारी, वाराणसी - 221003. टेलीफोन :- 0542-2290642 मोबाइल नं。 :- 09634499471 ईमेल आईडी :- dhs.tfc.dch@gmail.com